The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 5 | December 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

भारत में स्थानीय स्वशासन शासन का विकास तथा उपयोगिता

सर्वेश कुमार सिंह

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)

ई-मेल- 9827967687.ss@gmail.com

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :
स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, प्रतिनिधि, नगर पालिका, नगर निगम

ABSTRACT

भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास एक जीवंत भारतीय लोकतंत्र की नींव है। निर्णय लेने और कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर भागीदारी को सक्षम बनाकर, भारत में स्थानीय स्वशासन ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलने में सहायता की है | भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना में दो प्रकार की संस्थाएं/निकाय शामिल हैं – पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकाय (ULBs). पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) भारत में 'ग्रामीण स्थानीय स्वशासन' की प्रणाली को संदर्भित करती हैं, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों की शासन प्रणाली जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है. शहरी स्थानीय निकाय (ULB), जिन्हें नगरपालिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, भारत में 'शहरी स्थानीय स्वशासन' की प्रणाली को संदर्भित करते हैं, अर्थात् शहरी क्षेत्रों की शासन प्रणाली जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है।

स्थानीय स्वशासन से अभिप्राय

स्थानीय स्वायत्त शासन का अर्थ है, स्थानीय कार्यों का ऐसी स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध जो उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चलाई जाए ।1948 में प्रांतीय स्थानीय स्वास्थ्य शासन पर मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था -"स्थानीय स्वायत्त शासन ही किसी प्रजातंत्र प्रणाली का आधार है ।"

स्थानीय संस्थाएं भिन्न -भिन्न सिद्धांतों पर आधारित है -

1- स्थानीय संस्थाओं को विस्तृत अधिकार प्राप्त हो ताकि वे जिस प्रकार चाहें समाज कल्याण के लिए कार्य कर सकें।

2- स्थानीय संस्थाएं केवल उन्हीं क्षेत्रों में कार्य करें जहाँ तक कानून द्वारा उनको कार्य संचालित करने की आज्ञा दी गई हो।

वैसे तो स्थानीय शासन भारत में मौर्य काल से ही प्रचलित है परन्तु वर्तमान स्वरूप अंग्रेजों की देन है। पहली बार स्थानीय संस्थाएं प्रेसीडेंसी नगरों में अस्तित्व में आईं।सन1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। इस संस्था में अंग्रेज और भारतीय सम्मिलित थे इन्हें एक श्रेणी मण्डप, एक जेल, एक पाठशाला बनाने तथा नगरपालिका के कार्यकर्ताओं के वेतन आदि प्रयोजनों के लिए कर लगाने की अनुमति दी गई ।महापौर से चुंगी लगाने की अनुमति मांगी गई।सन 1726 में महापौर के न्यायालय मुंबई व कोलकाता में स्थापित किए गए।

1793 के चार्टर एक्ट से नागरिक संस्थाओं को वैधानिक अधिकार मिल गया।सन 1840 से 1853 के मध्य स्थानीय कर दाताओं को इन निगमों के सदस्य चुनने का अधिकार मिला। प्रेसीडेंसी नगर के बाहर नागरिक संस्थाओं का प्रारम्भ सन 1842 के बंगाल अधिनियम से हुआ।सन 1850 में यह अधिनियम समस्त ब्रिटिश प्रदेश में लागू कर दिया गया और नगर पालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने की अनुमति दी गई।सन1868 में राजकीय सैन्य स्वच्छता आयुक्त रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर नागरिक संस्थाओं को बढ़ावा मिला। यद्यपि यह रिपोर्ट मुख्यतःसेना से संबंधित थी परन्तु इसने सरकार का ध्यान नगरों में आस्वच्छता की ओर आकर्षित किया। ग्राम क्षेत्र में भी कई प्रकार की संस्थाओं का विकास हो रहा था।सिंध प्रशासन ने स्थानीय संस्थाओं को भूमिकर तथा मुद्रांकन शुल्क पर अतिरिक्त उपकर लगाने का अधिकार दिया।मद्रास तथा बम्बई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई।मद्रास सरकार ने सड़क उपकर रूप में भूमिकर लगाया। बम्बई सरकार ने प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निधि समिति की व्यवस्था की

1870 का मेयो प्रस्ताव

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ हुई। 1870 का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव उसी का प्राकृतिक परिणाम था ।इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ विभागों का जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं तथा सड़के भी थी नियंत्रण प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया।इसी के फलस्वरूप स्थानीय वित्त का प्रारम्भ हुआ।

1842 का रिपन प्रस्ताव

रिपन के स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास को महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है। रिपन की सरकार ने यह सुझाव दिया कि भारतीय सरकार स्थानीय संस्थाओं की ओर वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाए। स्थानीय संस्थाओं के विकास का केवल इसलिए समर्थन नहीं दिया गया कि उससे प्रशासन में सुधार होगा अपितु इसलिए कि यह लोगों की राजनैतिक और लोकप्रिय शिक्षा का साधन था।

1908 के विकेंद्रीकरण आयोग की रिपोर्ट

विकेंद्रीकरण के लिए राजकीय आयोग की रिपोर्ट ने स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रत्येक क्षेत्र के विषय में महत्वपूर्ण सिफारिश की ।आज भी यह रिपोर्ट राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।आयोग ने ग्राम पंचायतों तथा उपजिला बोर्डों के विकास पर बल दिया।नगरपालिकाओं के विषय में सिफारिश यह थी कि उनकी कर लगाने की शक्तियों पर कोई नियंत्रण न लगाया जाए।

1915 का भारतीय सरकार प्रस्ताव

भारतीय सरकार के प्रस्तावों में विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों पर सरकारी प्रक्रिया प्रतिपादित की गई थी।प्रस्ताव में नए करों का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया और आयोग के सुझाव केवल कागजी कार्यवाही ही बने रहे।

1918 का प्रस्ताव

1918 के भारत सरकार के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि इस संवैधानिक सुझाव का उद्देश्य उत्तरदाई सरकार बनाना है। और इसलिए प्रथम प्रयत्न स्थानीय स्वास्थ्य शासन के क्षेत्र में ही हो। मांटफोर्ड रिपोर्ट में सुझाव था कि -"जहाँ तक संभव हो सके स्थानीय संस्थाओं में पूर्ण लोकप्रिय नियंत्रण हो और उन्हें बाहरी नियंत्रण से अधिकतम स्वतंत्रता हो ।

द्वैध शासन के अधीन

1919 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने से स्थानीय स्वायत्त- शासन का एक हस्तांतरित विषय बन गया, जिसका नियंत्रण लोकप्रिय शक्ति के अधीन हो गया। केंद्रीय सरकार ने इस विषय में प्रांतीय सरकारों को आदेश देना बंद कर दिया और प्रत्येक प्रान्त को अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थानों का विकास करने को अनुमति मिल गई। अनुसूचित करो के नियमों के अनुसार स्थानीय कर और प्रांतीय करो की सूची को पृथक कर दिया गया परन्तु वित्त अभी भी आरक्षित विषय था अतएव भारतीय मंत्री इस विषय में बहुत कुछ नहीं कर सके।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

1935 के अधिनियम के अनुसार लोकप्रिय सरकारें वित्त का नियंत्रण करती थी और इसलिए वे इन संस्थाओं को अधिक धन उपलब्ध करा सकती थी। प्रांतीय स्थानीयकरण के बीच जो पृथक्करण था वह समाप्त हो गया। लगभग सभी प्रान्तों में स्थानीय संस्थाओं को अधिक कार्यभार दे दिया गया, परन्तु उनकी कर लगाने की शक्तियां लगभग वही रहीं।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने और जनतंत्र को अधिक दृढ़ बनाने के निश्चय से नई आशाएं बंधी। नवीन संविधान के राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (धारा 40)में सरकारों से अनुरोध किया गया है कि ग्राम पंचायत को अधिक बेहतर ढंग से गठित किया जाए। स्थानीय वित्त जांच समिति की रिपोर्ट में स्थानीय संस्थाओं की कठिन वित्तीय परिस्थितियों की ओर ध्यान खींचा गया और उन्हें कर लगाने और धन एकत्रित करने के अन्य सुझाव दिए गए ।रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थानीय संस्थाएं वित्तीय उत्तरदायित्व तभी प्राप्त कर सकती हैं यदि उन्हें अधिक शक्तियां दी जाए और अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर दिया जाए। इसमें यह भी आशा व्यक्त की गई कि अधिक शक्तियों के साथ उनमें अधिक उत्तरदायित्व भी आएगा और लोकमत के नियंत्रण के कारण यह संस्थाएं अधिक बेहतर कार्य कर सकेंगी।

भारत में स्थानीय स्वशासन

भारत में स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता के साथ प्रशासन चलाने की व्यवस्था है। इसमें ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय मुद्दों का समाधान और विकास कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है।

भारत में स्थानीय स्वशासन का महत्व

1- स्थानीय स्वशासन भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2- यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय मुद्दों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए।
3- यह स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है और स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
4- यह प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है।
5- यह स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है।
6- यह स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करता है।
7- यह स्थानीय लोगों को उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है।

भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना - भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना में तीन स्तर शामिल हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में: या ग्राम) ग्राम पंचायत - 1सभा)

  (या ब्लॉक समिति) पंचायत समिति - 2
  (या जिला पंचायत) जिला परिषद - 3
- शहरी क्षेत्रों में: (या नगर परिषद) नगर पालिका - 1

  2 - नगर निगम (या महानगर पालिका)
- संयुक्त क्षेत्रों में :(ग्रामीण और शहरी दोनों)

1 - जिला परिषद (या जिला पंचायत)

इन संस्थाओं के माध्यम से, भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना सुनिश्चित की जाती है कि स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्णय लेने और कार्यक्रमों को लागू करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो।

भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने के कानूनी प्रावधान

भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने के कानूनी प्रावधान संविधान के भाग 9 में पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 243 से 243(O) तक के प्रावधान शामिल हैं | भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ देश के संघीय लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। हालांकि, पंचायती राज के माध्यम से स्थानीय शासन भारत में एक लंबे समय से चली आ रही विशेषता रही है | पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में दी गई है, जो 1993 में लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना में तीन स्तर होते हैं -

ग्राम पंचायत: यह ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई है।

ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति: यह ग्राम पंचायत के ऊपर होती है और ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है।

जिला परिषद: यह जिला स्तर पर शीर्ष स्तर की संस्था है और इसमें जिले के भीतर कार्यरत पंचायत समितियों से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (सांसद) और विधान सभा के सदस्य (विधायक) शामिल होते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं में सभी मतदाता जो चुनावी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध हैं और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी हैं, अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर उनके साथ-साथ पंचायत अध्यक्षों के लिए सीटें निर्धारित हैं, कुल सीटों का एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है, और पंचायतें कानून के अनुसार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत में स्थानीय स्वशासन का महत्व -

स्वशासन की ओर बढ़ना- स्थानीय स्वशासन भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करता है।

विकेंद्रीकरण - स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, शक्ति और संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, जिससे स्थानीय समुदायों को अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेने में मदद मिलती है।

स्थानीय मुद्दों का समाधान- स्थानीय स्वशासन स्थानीय मुद्दों को समझने और उनका समाधान निकालने में मदद करता है, क्योंकि स्थानीय नेता और अधिकारी अपने समुदाय की जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं।

सामुदायिक भागीदारी- स्थानीय स्वशासन सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोगों को अपने समुदाय के विकास में योगदान करने का मौका मिलता है।

विकास और प्रगति- स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, स्थानीय समुदायों को अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके विकास और प्रगति की दिशा में काम करने में मदद मिलती है। यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं, ताकि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके और स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रमुख कमजोरियाँ -

1. संसाधनों की कमी: स्थानीय निकायों को अक्सर पर्याप्त संसाधनों और धन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

2. प्रशिक्षण और क्षमता की कमी: स्थानीय निकायों में अक्सर प्रशिक्षण और क्षमता की कमी होती है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

3. भ्रष्टाचार और अनियमितता: स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की समस्या हो सकती है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

4. राजनीतिक दबाव: स्थानीय निकायों पर अक्सर राजनीतिक दबाव होता है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

5. सामाजिक और आर्थिक असमानता: स्थानीय निकायों में अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानता की समस्या होती है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

स्थानीय स्वशासन की समस्याओं को दूर करने उपाय

1. स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां देना: स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां देने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

2. स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन देना: स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन देने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

3. स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना: स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

4. स्थानीय निकायों को सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: स्थानीय निकायों को सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

5. स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना: स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

6. स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करना: स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

7. स्थानीय निकायों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना: स्थानीय निकायों को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करने से वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे

सन्दर्भ:

1-डोडवेल, एच. एच.-- कैंब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया वॉल्यूम VI

2-हार्ट, एस. जी.- इंट्रोडक्शन टू सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल बंगाल

3- लोकल फाइनेंस एंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट

4-मसानी, आर.पी-- इवोल्यूशन का सेल्फ गवर्नमेंट इन मद्रास

5- रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन रिपोर्ट 1909